

फार्म

'प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती एस. मेडा 2. वर्तमान धारित पद अवर सचिव
3. वर्तमान वेतन 71400/- म.भत्ता 3570/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2018

उस पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा योग्यता नाम, जिसमें शामिल स्थिति है	धारित का नाम तथा वर्ण		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	इस विस प्रकार अर्जित किया गया पक्षीदा, पट्टा, बंधक, विरासत, गेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा वर्ण	संपत्ति का वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
म.नं. 39, सुन्दर नगर एक्सटेंशन, सुकलिया, इन्दौर	गृह		लगभग 12 लाख 50 हजार	स्वयं के नाम	पति की मृत्यु के पश्चात् कार्यालय से शेष स्वत्वों की शशि एवं बैंक से ऋण प्राप्त कर श्री मण्डलिका सुद्रमण्यम शर्मा से क्रय किया।		
म.नं. 516, गुल्ताब बाग कालोनी, ग्राम पिपलिया कुमार, तहसील-इन्दौर जिला-इन्दौर	गृह		लगभग 25 लाख	स्वयं के नाम	एल.आई.सी. हाउसिंग फायनेंस, इन्दौर से ऋण लिया गया एवं स्वयं की वचत द्वारा।		


अर्जित लागू न हो काट दीजिए।

ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना सम्भव न हो, वही वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक उदरार्थ से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में रहते नियुक्ति के समय आर उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उल्लेख सम्मिलित करा तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के वर्ण दें।

हस्ताक्षर


 श्रीमती एस. मेडा
 06/01/2018

नाम :

पद :

अवर सचिव
 मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
 इन्दौर - (4090)

6/1/18